.1.08.2020 अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से अधतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

31.08.2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

08.09.2020 अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा कौड़ीबहियार माल थाना सं0 510 गैरमजरूवा खाता सं0 96 के अन्तर्गत खेसरा सं0 1040 खतियानी रकवा 09–01–07 धूर किस्म परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में दर्ज है। इसी मौजा के पंजी 2 अवलोकन से पाया कि उक्त खेसरा सं0 1040 के अंदर अंश रकवा 05–00–00 धूर श्रीमान् अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती केश सं0 61ए0/1968–69 से श्री कैलाश पति पाण्डेय पिता लालजी पाण्डेय के नाम से खाता सं0 96/33 में दर्ज है। साथ ही "भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक 37/भू0सु0 दिनांक 24.01.2019 से सूचित किया गया है कि अंचल कार्यालय, गोड्डा के बंदोबस्ती रद्द केश सं0 12/2018–19 एवं भू0सु0 कार्यालय के विविध वाद सं0 05/2018–19 से श्री कैलाश पति पाण्डेय पिता लालजी पाण्डेय के नाम से रकवा 05–00–00 धूर भूमि की बंदोबस्ती को रद्द किया गया है" अंकित है। विदित होकि उसी खेसरा की भूमि का अदानी पावर झारखण्ड लिमिटेड के लिए रेलवे साईडिंग निर्माण में लीज बंदोबस्ती की गई है।

अतः मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 04–स0भू0–(दिशा निर्देश) 95/2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची दिनांक 13.05.2016 के आलोक में संधारित अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी वाद–953/2016–17 को राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन एवं पंजी अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की बंदोबस्ती को रद्द कर दी गई है। अतः अभिलेख की कार्यवाही को संचित किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

8.9.2020
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।